पत्रांकः– वि०को०/वि०स०महा०/45/12........

शिक्षा विभाग,
बिहार सरकार

प्रेषकः–

एच०आर० श्रीनिवास,
विशेष सचिव, शिक्षा विभाग।

सेवा में,

कुलसचिव,
बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर/जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा/मगध विश्वविद्यालय, बोध गया/तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर/के०एस०डी० संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा/ वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा/ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा/ बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मेधपुरा।

पटना, दिनांक......./............./2013

विषयः– बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1976 की धारा 56 से 60 एवं विश्वविद्यालय परिनियम में वर्णित प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने संबंधी विस्तृत प्रतिवेदन एवं पूर्व में विमुक्त की गयी अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ दिनांक 30.10.13 को 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में बैठक में भाग लेने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विश्वविद्यालय अन्तर्गत संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों को सरकार द्वारा छात्र/छात्राओं की उतीर्णता के आधार पर अनुदान की राशि दी जा रही है। संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1976 की धारा 56 से 60 एवं विश्वविद्यालय परिनियम में वर्णित प्रावधान का अनुपालन पूर्णतः नहीं किया जा रहा है। अधिनियम/परिनियम में वर्णित प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं प्रबंधन में विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिनियम/परिनियम में वर्णित प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी विश्वविद्यालय की ही हैं।

अनुरोध है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1976 की धारा 56 से 60 एवं विश्वविद्यालय परिनियम में वर्णित प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैठक आहूत है। उक्त बैठक में विस्तृत प्रतिवेदन एवं पूर्व में विमुक्त की गयी अनुदान की राशि का उपयोगिता

प्रमाण पत्र (विहित प्रपत्र में) के साथ अधोहस्ताक्षरी के विकास भवन, बेली रोड, पटना स्थित कार्यालय कक्ष में दिनांक 30/10/2013 को 11:00 बजे पूर्वाहन में उपस्थित होने का कष्ट करें।

इसे आवश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/–

अनुलग्नकः– यथोक्त!

(एच०आर० श्रीनिवास)

विशेष सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांकः–वि०को०/ वि०स०महा०/45/12– 160 पटना, दिनांक 28/10/2013

प्रतिलिपिः– निदेशक, उ०शि०/संबंधित उपनिदेशक, उ०शि० एवं विशेष सचिव के निजी सहायक को बैठक में भाग लेने हेतु तथा आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(एच०आर० श्रीनिवास)

विशेष सचिव, शिक्षा विभाग

वित्तीय वर्ष 2009–10 में राज्य के विश्वविद्यालय को संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों को अनुदान राशि देने के लिये स्वीकृत्यादेश संख्या–20 दिनांक 03.03.10 एवं 31 दिनांक 29.03.10 द्वारा स्वीकृत की गयी राशि एवं विमुक्त राशि के विरूद्ध विश्वविद्यालय से अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की विवरणी

क्र०सं०	विश्वविद्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष	शैक्षणिक सत्र	स्वीकृत अनुदान की राशि	विश्वविद्यालय को विमुक्त की गयी राशि	विमुक्त राशि के विरूद्ध विश्वविद्यालय से अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र
1	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	2009–10	2005–08	9,86,56,200/–	**9,86,56,200/–**	अप्राप्त
2	बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	2009–10	2005–08	8,47,87,200/–	**8,47,87,200/–**	अप्राप्त

वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य के विश्वविद्यालय को संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों को अनुदान राशि देने के लिये स्वीकृत्यादेश संख्या–31 दिनांक 29.09.11 द्वारा स्वीकृत की गयी राशि एवं विमुक्त राशि के विरूद्ध विश्वविद्यालय से अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की विवरणी

क्र०सं०	विश्वविद्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष	शैक्षणिक सत्र	स्वीकृत अनुदान की राशि	विश्वविद्यालय को विमुक्त की गयी राशि	विमुक्त राशि के विरूद्ध विश्वविद्यालय से अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र
1	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	2011–12	2006–09	16,47,62,100/–	**15,47,47,300/–**	15,47,46,600/– अप्राप्त
2	बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	2011–12	2006–09	9,51,31,800/–	**5,99,77,100/–**	अप्राप्त
3	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	2011–12	2006–09	15,14,44,500/–	**7,68,92,700/–**	अप्राप्त
4	तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	2011–12	2006–09	4,40,55,800	**4,10,83,300/–**	अप्राप्त
5	के०एस०डी० एस विश्वविद्यालय, दरभंगा	2011–12	2005–08 2006–09	31,77,300/–	**31,77,300/–**	अप्राप्त